कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएँ, छत्तीसगढ़

ब्लाक–बी, द्वितीय एवं तृतीय तल विभागाध्यक्ष कार्यालय,
इंद्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ई–मेल– rcs.coop@nic.in

क्रमांक / विधि / 2014 / 5991   रायपुर, दिनांक 9 **दिसम्बर**, 2014

प्रति,

कलेक्टर
समस्त छ0ग0

विषय :– सहकारी संस्थाओं के निलंबन / अतिष्ठान के संबंध में।
संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्र / विधि / 2014 / 5611 दिनांक 20 नवंबर 2014.

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संलग्न संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसकी प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित की गयी है। जिसमें उप / सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, द्वारा अनियमितता आदि के कारण जिन प्राथमिक समितियों को निलंबित किया जाता है तथा वहां विभागीय अधिकारी / कर्मचारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ऐसे नियुक्त किए गए प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जिला कलेक्टर के अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही आदेश जारी करें।

अतः कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि आपके अधिनस्थ जिले अंतर्गत निलंबित / अतिष्ठित की गयी सोसाइटी में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आपके अनुमोदन पश्चात ही हो तथा जिन संस्थाओं प्रभारी अधिकारी पूर्व से पदस्थ हों वहां भी यदि कोई समस्या परिलक्षित हो तो अपने स्तर से प्रभारी अधिकारी बदलने हेतु निर्देशित करे, ताकि धान खरीदी कार्य में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो एवं यह कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

8.12.14
(अविनाश चम्पावत)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

क्रमांक / विधि / 2014 / 5991   रायपुर, दिनांक 9 **दिसम्बर**, 2014

प्रतिलिपि :–

1 प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2 संभागीय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर/बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।

3 उप/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, समस्त छ0ग0 की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा जिन प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को निलंबित/अतिष्ठित किया गया है, संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में उन संस्थाओं में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के पूर्व जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त करें।

पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़